

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3229/2024

Shriram General Insurance Company Limited, E-8, Epip Riico
Industrial Area, Sitapura, Jaipur.

(Insurance Company Of Motorcycle No. Rj-37-Sh-8451)

----Appellant

Versus

1. Sanju Devi W/o Lt. Dhannaram, Aged About 32 Years, R/o Amarpura Teh. Didwana Dist. Nagaur.
2. Vandana D/o Lt. Dhannaram, Minor- Through Natural Gaurdian Mother Respodent No. 1 R/o Amarpura Teh. Didwana Dist. Nagaur.
3. Karan Jangid S/o Lt. Dhannaram, Minor- Through Natural Gaurdian Mother Respodent No. 1 R/o Amarpura Teh. Didwana Dist. Nagaur.
4. Bhagwani Devi W/o Jeewanlal Jangid, R/o Amarpura Teh. Didwana Dist. Nagaur.
5. Jeewanram Jangid S/o Sohanlal Jangid, R/o Amarpura Teh. Didwana Dist. Nagaur.
6. Dinesh Kumar S/o Kaluram, R/o Padmaniya Bass, Didwana Teh. Didwana, Dist. Nagaur.
(Owner And Driver Of Motorcycle No. Rj-37-Sh-8451)

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Aditya Singhi

For Respondent(s) : Mr. Surendra Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/07/2025

विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्चीगण-क्लेमेंट्स संख्या 1 से 5
की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी दो सप्ताह में दो प्रति में प्रत्यर्थी संख्या 6 के पीएफ व नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर आगामी छः सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती के रूप में प्रदान की जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड राशि में से 60 प्रतिशत की राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मय ब्याज एक माह की अवधि में अधिकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है, तो विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र (अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण संख्या 11/2016, संजूदेवी व अन्य बनाम दिनेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय व अवार्ड दिनांक 19.07.2024 की शेष राशि की वसूली इस अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमेंटस् को राशि अदा कर दी जाये।

क्लेमेंटस् से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाये कि यदि इस अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में होता है तो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई उपरोक्त राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् विद्वान अधिकरण का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J